तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./735/2002/ टोंक</u>** **भंवर लाल व अन्य बनाम कालू के का.मु. नारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकल–पीठ</u>
श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री वी.पी.सिंह, अभिभाषक प्रार्थीया।
(2) श्री जे.के.पारीक, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक :</u>**

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत सहायक कलेक्टर टोंक के आदेश दिनांक 15–1–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेंश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी को स्वीकार किया है।

2– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी।

3– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि दावे में अन्तिम बहस सुनने के बाद अन्तिम निर्णय के लिये तारीख नियत करने के बाद दावे की प्रोसीडिंग समाप्त हो गई थी केवल निर्णय लिखाकर सुनाना शेष था। अन्तिम बहस के बाद तथा निर्णय सुनाने के पूर्व दिनांक 28–12–01 को वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी को स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। उनका तर्क है कि अन्तिम बहस के बाद दावे में की जाने वाली समस्त प्रोसीडिंग समाप्त हो जाने के बाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी को स्वीकार करने का अवसर समाप्त हो गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

4– बहस के खण्डन में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन है कि वाद की प्रकृति नहीं बदलने पर, वाद चरित्र के अप्रभावित रहने पर किसी भी स्तर पर संशोधन स्वीकार किया जा सकता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./735/2002/ टोंक</u>** **भंवर लाल व अन्य बनाम कालू के का.मु. नारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दीवानी को स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। निगरानी खारिज की जावे।

5– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष वाद में संशोधन करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 23–12–97को प्रस्तुत किया है। आदेशिका दिनांक 14–5–99 में यह अंकन है कि संशोधित वाद पत्र पेश हुआ, शामिल रहे। वास्ते जबाब दिनांक 3–6–99 को पेश हो। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जब दिनांक 23–12–97 को संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया उस समय वादी द्वारा यह संशोधन क्यों नहीं चाहा गया इसका कोई कारण वादी ने नहीं बताया है। दिनांक 22–12–01 को मूल वाद में उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर वास्ते आदेश दिनांक 27–12–01 नियत की गई है। उक्त दिनांक को आदेश नहीं सुनाकर आगामी पेशी निर्णय सुनने हेतु दिनांक 28–12–01 नियत की गई है। निर्णय सुनाने की दिनांक 28–12–01 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया है। आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी में यह प्रावधित किया गया है कि–''न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायसंगत हो, परिवर्तित करे या संशोधित करे और सभी ऐसे संशोधन किये जायेंगे जो पक्षकारों के बीच में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो। <u>परन्तु विचारण प्रारम्भ हो जाने के पश्चात संशोधन के लिये कोई आवेदन पत्र तब तक अनुज्ञात नहीं किया जावेगा जब तक न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि सम्यक तत्परता के बाबजूद पक्षकार विचारण के प्रारम्भ होने के पूर्व मामले को नहीं उठा सकता था।</u>

दिनांक 23–12–97 को एक बार संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत करने हेंतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद इतने लम्बे अन्तराल बाद वर्ष 2001 में संशोधन का जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है,वह भी दावे में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./735/2002/ टोंक</u>** **भंवर लाल व अन्य बनाम कालू के का.मु. नारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अन्तिम बहस सुनने के बाद अन्तिम निर्णय के लिये तारीख नियत करने के बाद और निर्णय सुनाने के पूर्व दिनांक 28–12–01 को प्रस्तुत किया गया है। जिसे स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। 7– अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर टोंक के आदेश दिनांक 15–1–02 को निरस्त किया जाता है। विचारण न्यायालय के समक्ष वर्ष 1997 से वाद लम्बित है जो काफी पुराना हो चुका है। इसलिये विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का अधिकतम तीन माह के अन्दर विधि अनुसार निस्तारण करें। उभय पक्षकारान को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20–7–2018 को उपस्थित रहने के लिये जरिये अभिभाषक पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	